राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3),शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / IBW/2019/Part-5/01962 जयपुर, दिनांकः 09 JUN 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महंगाई राहत शिविरों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य अपना खेत अपना काम हेतु पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.05.2011 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य अपना खेत अपना काम करवाने बाबत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य अपना खेत अपना काम हेतु प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को रूपये 3.00 लाख तक की सीमा में व्यक्तिगत लाभ का अनुमत कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। इस 3.00 लाख रूपये की राशि में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आवास योजना के लिए देय 90 अकुशल श्रमिक की राशि एवं पशु आश्रय / बकरी आश्रय / सूकर आश्रय / कुक्कुट आश्रय के लिए देय राशि सम्मिलित नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची–1 के पैरा–5 अनुसार व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के लिए निम्नलिखित से संबंधित परिवारों की भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है –

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- घुमन्तु जनजाति
- अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां
- गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुम्ब
- महिला प्रधान वाले कुटुम्ब
- शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुम्ब
- भूमि सुधारों के फायदाग्राही
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अधीन फायदाग्राही
- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही और इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित **लघु या सीमान्त किसानों** की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली (Exaust) करने के पश्चात कि कुटुम्बों की [illegible] भूमि पर।

उक्त सभी परिवारों को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी –

Validity unknown
Digitally signed by Prem Sukh Bishnoi
Designation : Director
Date: 2023.06.09 16:35:14 IST
Reason: Approved

CamScanner

- जिस ग्राम पंचायत द्वारा जॉबकार्ड जारी किया गया है, उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाभार्थी के पास अथवा उसके पिता/पति के नाम खातेदारी भूमि हो तथा वह जॉबकार्ड धारक हो।
- प्रत्येक व्यक्तिगत लाभ के कार्य का नामजद अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जावे तथा वह नामजद कार्य जिले की वार्षिक कार्य योजना में शामिल हो।
- कार्य का क्रियान्चयन लाभार्थी द्वारा स्वयं भी किया जाना आवश्यक है।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 40(70)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स–एएच/2014 (पार्ट–1) दिनांक 28.11.2016 द्वारा अपना खेत अपना काम दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 1(ख)(ii), 6(iv) एवं परिशिष्ट–2 में आंशिक संशोधन करते हुए नये आवेदन पत्र का प्रारूप तथा कार्यों की स्वीकृति हेतु चैक लिस्ट भिजवाई गई थी।

विभागीय पत्र दिनांक 20.03.2023 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल स्वीकृत कार्यो में से कम से कम 60 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभ के कार्य (PMAY कार्य छोड़कर) स्वीकृत करने बाबत निर्देश जारी किये गये है। इनमें से 20 प्रतिशत कार्य उद्यानिकी पौधारोपण के स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

नरेगा सॉफ्ट एमआईएस के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि कई कार्य Approved की श्रेणी में हैं, लेकिन प्रारम्भ नहीं किये गये है। ऐसे कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ किया जावें। साथ ही कई कार्य ऐसे भी है, जो स्वीकृत हो चुके है, लेकिन इन्हें एमआईएस पर नहीं लिया गया है। ऐसे कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराकर एमआईएस एण्ट्री की जावें।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन महंगाई राहत शिविरों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य अपना खेत अपना काम हेतु वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में संलग्न चैक लिस्ट अनुसार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि लाभार्थियों के कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं हैं, तो उन्हें नियमानुसार पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर आवेदन प्राप्त किये जावें। शिविरों में प्राप्त किये जाने वाले आवेदनों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन अपडेट किया जाना भी सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(प्रेम सुख विश्नोई)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।

Validity unknown
Digitally signed by Prem Sukh Bishnoi
Designation : Director
Date: 2023.06.09 16:35:14 IST
Reason: Approved

अधीक्षण ... ईजीएस

CamScanner

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तार्गत
'अपना खेत अपना काम' व्यक्तिगत कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र
कार्यालय पंचायत समिति .... जिला .... (राज.)

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी का नाम		ग्राम			ग्राम पंचायत		
पुत्र/पुत्री/पत्नी		जॉबकार्ड नं.		मोबाईल नं		बी.पी.एल नं	
जाति		परिवार एवं कृषक श्रेणी (सही का निशान लगायें)					

लाभार्थी की श्रेणी	बी.पी.एल (2002)	एस सी	एस. टी	पूर्व का इन्दिरा आवास लाभार्थी	विधवा/ एकल महिला मुखिया	विकलांग मुखिया परिवार	लघु कृषक	सीमांत कृषक	अन्य पात्र लाभार्थी

लाभार्थी के स्वामित्व/हिस्से की भूमि का विवरण

खसरा नं0	कुल रकबा हैक्टेयर	नोशनल शेयर	खातेदारों/मालिक का नाम मय वल्दियत/ खसरा नं. जिसमें कार्य कराया जाना प्रस्तावित है

गुख्य एक्टीविटी के नाम (सही का निशान लगायें)	पशु आश्रय	बागवानी	मेडबन्दी	भूमि विकास कार्य	उपजाऊ मिट्टी भरना	फार्मपोण्ड	पानी टांका	चैकडेम
सिंचाई व्यवस्था (केवल श्रम)	धोरा	कम्पोस्ट पिट	डिग्गा कम बण्ड	शोर फेंसिंग	सुखे पत्थरों की पिचिंग	छायादार पौधारोपण	अन्य कार्य	

नोट प्रार्थी के खेत की आवश्यकतानुसार अधिकाधिक (Maximum) एक्टीविटी ली जानी चाहिए।

घोषणा -- मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के समस्त प्रावधानो का पालन करुंगा। इस योजना में मैंने पूर्व में किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया है तथा मेरी भूमि इसी ग्राम पंचायत में है जिसमे मैं निवास करता हूँ। मैं जॉबकार्ड धारी परिवार हूँ तथा अपने खेत पर स्वयं भी कार्य करने को तैयार हूँ। कैटल शैड हेतु मैं प्रतिबन्धित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वैटलेण्ड/मन्दिर माफी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नही करुंगा। उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाने पर/राजकीय राशि के दुरुपयोग हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार होउगां, तथा व्यय राशि मुझसे वसूलनीय होगी। जिस भूमि पर कार्य कराना है, उसका नजरी नक्शा संलग्न है मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई वाद/स्थगन नही है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर लाभार्थी

आवश्यकतानुसार सहमति

मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करते हैं कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैंने/हमने ऊपर लिखी शर्तें पढ ली है और तदनुरूप उक्त लाभार्थी जो कि मेरा/हमारा पारिवारिक सदस्य है, के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सहमति दे दी है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत	नाम मय वल्दियत

पुष्टि एवं अभिशंषा

प्रार्थी ने योजनान्तर्गत पूर्व में लाभ प्राप्त नही किया है, कार्य ग्राम पचायत .... की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुमत श्रेणी .... के आधार पर पात्रता रखता है। कैटल शैड हेतु प्रतिबंधित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वैटलेण्ड/मन्दिर माफी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नही कराया जायेगा। अतः उक्त सूचनाओं की पुष्टि की जाकर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य लिए जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील ग्रामसेवक	

प्रार्थी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति राजीविका स्वय सहायता समूह का सदस्य होने की दशा मे –

समूह सदस्य का नाम	समूह का नाम	समूह का कोड/यूआईडी
राजीविका प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय नाम एवं पद		

PTO

CamScanner

परिशिष्ट–'ब'

"अपना खेत अपना काम योजना" के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु चैक लिस्ट :–

1. पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र।

2. प्रार्थी की भूमि की जमाबन्दी की नकल (ई–मित्र द्वारा जारी नकल मान्य)।

3. प्रार्थी की भूमि का नज़री नक्शा।

4. जॉबकार्ड की फोटोप्रति।

5. बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति।

6. प्रस्तावित कार्यस्थल (कृषि भूमि/आवासीय भूमि) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटो (प्रार्थी के साथ)।

7. पशु आश्रय स्थल आवासीय भूमि में निर्मित करवाने की दशा में सादे कागज पर स्वयं लिखित एवं हस्ताक्षरित नजरी नक्शा।

8. प्रार्थी के आवेदन के अनुसार जमीन के सुधार को ध्यान में रखकर अनुमत मॉडल के अनुरुप जेटीए/जेईएन द्वारा तैयार किया गया तकमीना एवं सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी स्वीकृति।

CamScanner